an>

Title: Need to float tenders for removal of boulders, mortars and sand deposited in rivers and drains originating from Nepal causing inundation and erosion of land along the river course in Shrawasti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) : मेरा संसदीय क्षेत्र भारत-नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है । क्षेत्र का बड़ा भूभाग पहाड़ी एवं वनाच्छादित है । फारेस्ट सैंचुरी 1994 लागू होने से पहले नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों से पानी के साथ भारी मात्रा में आने वाले पत्थर, बजरी एवे बालू/मोरंग की नीलामी के माध्यम से उठान होता था जिसकी वजह से नालों की गहराई बनी रहती थी और पानी के बहाव में रूकावट नहीं आती थी। नदी नालों के माध्यम से पानी का उपयोग उपजाऊ जमीन की सिंचाई आदि के लिए किया जाता था। फारेस्ट सैंचुरी 1994 के लागू होने के बाद पत्थर, बजरी, मोरंग आदि की नीलामी बंद कर दी गयी है जिसके कारण नालों में भरी मात्रा में पत्थर, बजरी तथा मोरंग भर चुका है, नालों के पटान से पानी का बहाव अनियंत्रित होकर उपजाऊ मिट्टी के कटान के साथ्-साथ वन सम्पदा को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है और बरसात में आने वाली भयंकर बाढ़ से लगभग 50 से अधिक गांवों के कई हजार किसान और गरीब मजदूर प्रभावित हो रहे हैं, हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि भी बर्बाद होती जा रही है । जनपद बलरामपुर में थारू जनजाति की आबादी लगभग 50 हजार से एक लाख के बीच है । ये लोग तथा अन्य तबके के गरीब मजदूर नदी -नालों से एकत्रित पत्थरों आदि की निकासी के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे, पत्थरों की नीलामी बंद होने से इनके सामने भी रोजी-रोटी की विकट समस्या आ खड़ा हुई है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि पहाड़ी नालों में भारी मात्रा में जमा हो चुके पत्थर, बजरी एवे मोरंग तथा बालू की नीलामी प्रारंभ करवायी जाए ताकि बंद पड़े नालों की सफाई हो सके और नेपाल से आने वाले पानी की बाढ़ से जन-धन की हानि रोकी जा सके । नदी नालों को लगभग बंद कर चुके पत्थरों, मोरंग बालू तथा बजरी की नीलामी में लाखों बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मिलेगा और सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा जिसका उपयोग वनों के संरक्षण में किया जा सकेगा ।